रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276211
CG-DL-E-15092026-276211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4827] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948
No. 4827] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5017(अ).— जबकि मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफ़िस 309, तीसरी मंज़िल, रेक्टेंगल वन, होटल शेरेटन के पीछ, साकेत, नई दिल्ली 110017 पर स्थित है, ने ट्रांसमिशन स्कीम, "कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित 300 मेगावाट हाइब्रिड पावर परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र नं. 25-17/75/2025-PG दिनांकित 28.07.2025 के अंतर्गत ट्रांसमिशन स्कीम, "कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित 300 मेगावाट हाइब्रिड पावर परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी में) दिनांक 09.08.2025 और राजस्थान पत्रिका (हिन्दी में) दिनांक 09.08.2025, प्रजावाणी (कन्नड़ में) दिनांक 09.08.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 20.09.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो

महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांकित 04.06.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से और समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई भी अवलोकन/ अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुए थे।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

- मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जो कर्नाटक के बीदर ज़िले के भालकी तालुक, निट्टूर होबली के केरूर गाँव में स्थित है) - बीदर PS (ISTS S/s) 220 kV S/c लाइन, D/c टावरों पर |

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइन राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
कुरबुरवाड़ी, चेम्मिगांव तांडा, हैंडीकेरा, चेम्मिगांव तांडा, मालेगांव, भोपालगड, संगनाल, बेलकोनी, भवानीबिजलगांव, मुदोल तांडा, मुदोलबुजुर्ग, तोर्ना, लिंगदहल्ली, मुदोलखुर्द, भीमरा, तापसल, चंदूरी, बेदरोंडा, लक्ष्मीनगर, कुसनूर, हालहल्ली, निडोडा	कमल नगर	बीदर	कर्नाटक
कुडली, नागराल, बीरीबुजुर्ग, निदूरबुजुर्ग, बीरीखुर्द, मुरल, कोटगिआल, वलसंग, केरूर, हुपला, बलूर तांडा, अहमदाबाद	भालकी	बीदर	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मैसर्स एम्पिन एनर्जी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/70/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5017(E).— Whereas M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd, the applicant with its registered office at 309, 3rd Floor, Rectangle One, Behind Sheraton Hotel, Saket, New Delhi 110017, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, "Transmission system for providing connectivity to M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd. for its 300 MW Hybrid Power project in Bidar District, Karnataka".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/75/2025-PG dated 28.07.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, "Transmission system for providing connectivity to M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd. for its 300 MW Hybrid Power project in Bidar District, Karnataka".

M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd has published notice for transmission scheme in local newspapers Deccan Herald (in English) dated 09.08.2025 & Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 09.08.2025, Prajavani (in Kannada) dated 09.08.2025 and in Weekly Gazette of India dated 20.09.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd, has submitted an affidavit dated 04.06.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- Generation Pooling Station of M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd. (Located at Keroor Village, Nittur Hobli, Bhalki Taluk, Bidar District, Karnataka) - Bidar PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c towers

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka:

Villages	**Tehsil**	**District**	**State**
Kurburwadi, Chemmigaon Tanda, Handikera, Chemmigaon Tanda, Malegaon, Bhopalgad, Sangnal, Belkoni, Bhavani Bijalgaon, Mudhol Tanda, Mudhol Buzurg, Torna, Lingadahalli, Mudhol Khurd, Bhimra, Tapsal, Chanduri, Bedronda, Lakshminagar, Kusnur, Halahalli, Nidoda.	Kamal Nagar	Bidar	Karnataka
Kudli, Nagaral, Biri Buzurg, Nittur Buzurg, Biri Khurd, Mural, Kotagial,Walsang, Kerur, Hupla, Balur Tanda, Ahmadabad.	Bhalki	Bidar	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd, for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s AMPIN Energy Utility Pvt. Ltd, shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/70/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA